

यूनाइटेड ऑफसेट प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

बनाम

सहायक सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे और अन्य

14 अक्टूबर, 1988

[सब्यसाची मुखर्जी और के. जगन्नाथ शेट्टी, जेजे.]

कस्टमस टैरिफ अधिनियम: अनुसूची प्रविष्टियाँ 90. 20, 90.25 और 84.35-कलर स्कैनर क्रोमोग्राफ सी-299-सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन, क्या मुद्रण मशीनरी-कोई विशिष्ट तकनीकी परिभाषा नहीं-अर्थ इसमें काम करने वालों द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार है।

अपीलकर्ता ने वर्ष 1981-82 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के तहत "प्रिंटिंग मशीनरी" शीर्षक के तहत कलर स्कैनर क्रोमोग्राफ सी-299 का आयात किया और टैरिफ आइटम नंबर 84.35 के तहत मंजूरी के लिए कागजात दाखिल किए। सहायक कलेक्टर ने टैरिफ शीर्ष 90.25(1) के तहत माल का मूल्यांकन किया और 40% प्लस 5% सहायक शुल्क प्लस 8% सीवीडी की दर से सीमा शुल्क लगाया। मूल्यांकन के अनुसार शुल्क के भुगतान के बाद अपीलकर्ता द्वारा माल को मंजूरी दे दी गई। बाद में, सहायक कलेक्टर ने अपीलकर्ता को 7,60,032.72 रुपये की कम शुल्क मांग की वसूली के लिए इस आधार पर नोटिस जारी किया कि कलर स्कैनर शीर्ष 90.10 के तहत 100% प्लस 20% प्लस 8% की दर से मूल्यांकन योग्य है। सी.वी.डी. अपीलकर्ता की दलीलें कि इसका उपयोग केवल मुद्रण उद्योग में किया गया था और निश्चित रूप से फोटोग्राफी या सिनेमैटोग्राफी प्रयोगशालाओं में नहीं और यह केवल मुद्रण उद्योग में सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता थी, मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष विफल रही। ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर

एक अपील में, यह देखा गया कि विचाराधीन सामान को ऐसा सामान नहीं माना जा सकता है। जिस पर प्रविष्टि 84.35, 90.07 या 90.25 में से किसी के तहत शुल्क लगाया जा सकता है, और माना कि केवल प्रवेश की ही संभावना बची थी। 90.10 जिसके तहत सामान पर शुल्क लगेगा। इस न्यायालय के समक्ष एक अपील में इस मामले से जुड़ा सवाल यह था कि उचित टैरिफ प्रविष्टि क्या थी जिसके तहत विचाराधीन सामान को वर्गीकृत किया जा सकता था।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को ट्रिब्यूनल को भेजते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम या अधिसूचना में ऐसी कोई विशिष्ट तकनीकी परिभाषा नहीं दी गई है। यदि किसी विशेष अधिनियमित कानून में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का कोई अर्थ नहीं है तो सीमा शुल्क प्रविष्टियों में मौजूद वस्तुओं का मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसका आधार यह है कि इन अभिव्यक्तियों का उपयोग व्यापार या उद्योग या बाज़ार में कैसे किया जाता है या, दूसरे शब्दों में, इनका सौदा करने वाले लोगों द्वारा इनसे कैसे निपटा जाता है, बशर्ते कि इस प्रकार के सामानों के लिए एक बाज़ार हो। यह सिद्धांत व्यापार समानता के आधार पर वर्गीकरण के रूप में प्रसिद्ध है। यह एक सुविख्यात सिद्धांत है कि यदि किसी विशेष अभिव्यक्ति की परिभाषा नहीं दी गई है, तो उसे उसके लोकप्रिय सामान्य ज्ञान में समझा जाना चाहिए, अर्थात् इस अर्थ में कि उस अभिव्यक्ति का उपयोग उन लोगों द्वारा प्रतिदिन कैसे किया जाता है। जो इसका उपयोग करते हैं या उससे निपटते हैं। [535-ई]

उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या बिक्री-टीएएस जैसी विधियों में वस्तुओं को शामिल करने में जिनका प्राथमिक उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है और जिसके लिए विविध उत्पादों,

लेखों और पदार्थों को वर्गीकृत करना है, का सहारा लेना चाहिए। पदार्थ के वैज्ञानिक और तकनीकी अर्थ के लिए नहीं, बल्कि उनके लोकप्रिय अर्थ के लिए, अर्थात्, इन अभिव्यक्तियों से जुड़े लोगों द्वारा जुड़ा हुआ अर्थ। [535 ई-एफ]

मौजूदा मामले में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि व्यापार या उद्योग में इन वस्तुओं का निपटान कैसे किया जाता है। प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की कोई तकनीकी परिभाषा नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में, ट्रिब्यूनल का सच्चा दृष्टिकोण वस्तुओं के सही अर्थ का पता लगाना चाहिए था, यानी, इससे निपटने वाले लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति का अर्थ व्यापार है। [536-ए-बी]

सी.आई.टी. आंध्र प्रदेश बनाम मैसर्स ताज महल होटल, सिकंदराबाद, [1972] 1 एससीआर 168; किंग बनाम प्लांटर कंपनी, (1951) सीएलआर (पूर्व) 122; चाय की दो सौ पेटियाँ। [1824] 6 एलईडी। 128; पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम वाशी अहमद आदि, [1977] 3 एससीआर 149; भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स, [1963] पूरक 1 एससीआर 586; रामावतार बुधईप्रसाद बनाम सहायक एस.टी.ओ. अकोला, [1962] 1 एससीआर 279; साउथ बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, [1968] 3 एससीआर 21 और पोरिस एंड स्पेंसर (एशिया) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, [1979] 1 एससीसी 82, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2129/1984।

सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की अपील क्रमांक सीडी (एसबी) 153/8 जेबी (आदेश क्रमांक 196/84-8) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.3.1984 से।

अपीलकर्ता की ओर से हरीश साल्वे, श्रीमती एच. वाही और राजीव शकधर। वी.सी. महाजन, सी.वी. सुब्बा राव और अरुण मदान उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय सब्यसाची मुखर्जी, जे. द्वारा सुनाया गया।

यह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 130ई (बी) के तहत एक अपील है जो सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) द्वारा पारित 13 मार्च, 1984 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है।) अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद इसे न्यायाधिकरण कहा जाएगा")। अपीलकर्ता ने 20.4.1980 को हवाई मार्ग से कलर स्कैनर क्रोमोग्राफ सी-299 आयात किया। इसे वर्ष 1981-82 के लिए आयात नीति के परिशिष्ट 2 के तहत आयात करने की अनुमति है (वर्ष 1981-82 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के परिशिष्ट 2 के 12(3) में "मुद्रण मशीनरी" शीर्षक के तहत)। अपीलकर्ता ने टैरिफ आइटम 84.35 के तहत मंजूरी के लिए प्रवेश बिल दायर किया। सहायक कलेक्टर ने आयातित क्रोमोग्राफ सी-299 को बिल ऑफ एंट्री में 4 उप-शीर्षों के तहत विभाजित किया और टैरिफ शीर्षक 90.25 (i) के तहत इसका मूल्यांकन किया और उस पर 40% प्लस 3% सहायक शुल्क प्लस 8% की दर से सीमा शुल्क लगाया। सी.वी.डी. अपीलकर्ता ने 13.5.1980 को मूल्यांकन के अनुसार शुल्क के भुगतान के बाद कार्गो को मंजूरी दे दी। इसके बाद, सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर ने 26 जुलाई, 1980 को इस आधार पर 7,60,032.72 रुपये की कम शुल्क मांग भेजी कि कलर स्कैनर शीर्ष 90.10 के तहत 100% प्लस: 20 की दर से मूल्यांकन योग्य है। शीर्ष 90.25 (i) के तहत मूल मूल्यांकन के मुकाबले 8% की दर से % प्लस सी.वी.डी. और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के तहत उक्त नोटिस जारी किया ताकि यह बताया जा सके कि राशि की वसूली क्यों नहीं की जानी चाहिए। 28.8.1980, को अपीलार्थी द्वारा अग्रेषित उत्तर में यह कहा गया था कि आयातित स्कैनर का उपयोग केवल मुद्रण उद्योग में किया जाता है और निश्चित रूप से

फोटोग्राफी या सिनेमैटोग्राफी प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यह कभी भी फोटोग्राफी या थर्मोकॉपी प्रक्रिया द्वारा किसी दस्तावेज़ की प्रतियां तैयार नहीं करता है। अपीलकर्ता का तर्क यह था कि इस रंग स्कैनर का उद्देश्य समग्र पारदर्शिता या रंग ब्रोमाइड के रंग का विश्लेषण करना है और अंततः ग्राफिक कला फिल्मों पर चार अलग-अलग सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करना है और रंग स्कैनर किसी भी पारदर्शिता को चार मूल रंगों अर्थात् पीले रंग में भी विश्लेषण करता है। मैजेंटा, काला और नीला। अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि आयातित रंगीन स्कैनर केवल मुद्रण उद्योग में सहायक उपकरण के रूप में उपयोग करने में सक्षम था। हालाँकि, जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है, मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम का शीर्षक 90.25 (i) जोड़ दिया था। अपीलकर्ता डीलर का तर्क था कि उक्त सामान को केवल प्रविष्टि 84.35 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने माना कि उक्त सामान को प्रविष्टि 84.35 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल ने पाया कि प्रविष्टि 84.35 के तहत अपीलकर्ता द्वारा माल का वर्गीकरण नहीं किया जा सका यदि प्रस्तुत कैटलॉग का विश्लेषण किया गया तो यह कायम रहेगा इस प्रकार है:

"हम सभी स्कैनर और प्रोसेस कैमरा ऑपरेटरों के लिए नया क्रोमोग्राफ 299 पेश करते हैं, और आशा करते हैं कि यह आपके प्रोसेस ऑपरेटर्स के भविष्य को समझने में मदद करेगा। आइए हम शुरुआत में ही बता दें कि क्रोमोग्राफ 299 विशेषज्ञ ऑपरेटर की जगह नहीं लेता है। लेकिन इस आधुनिक उच्च के साथ -प्रदर्शन "उपकरण" वह अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक आर्थिक रूप से अपनी जानकारी को उत्पादन में लागू कर सकता है"।

ट्रिब्यूनल ने कैटलॉग के दूसरे भाग में यह भी पाया कि:

"क्रोमोग्राफ 299 सहायक उपकरण के बिना और मध्यवर्ती नकारात्मक या रंग डुप्लिकेट के बिना तेजी से और विश्वसनीय रूप से रंग पृथक्करण उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि सामग्री की लागत कम हो गई है और साथ ही वृद्धि हुई है उत्पादकता"।

प्रविष्टि 84.35 केवल "अन्य मुद्रण मशीनरी" को संदर्भित करती है। ट्रिब्यूनल का मानना सही था कि कैटलॉग से एकत्र किए गए विवरणों से यह संकेत नहीं मिलता है कि विचाराधीन मशीनरी को मुद्रण के लिए एक सहायक के रूप में कहा जा सकता है। ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किया गया था कि व्यापार और उद्योग और वैज्ञानिक और तकनीकी पारिश्रमिक में उपकरण का उपयोग केवल मुद्रण उद्योग में किया जाता है। हालाँकि, इस आशय का कोई सबूत या स्पष्ट सबूत नहीं है। जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, स्कैनर का कार्य केवल रंग पृथक्करण रेट तैयार करना था जो मुद्रण के लिए उपयोगी हो सकता है। ट्रिब्यूनल ने प्रविष्टि 19.07 पर भी विचार किया और माना कि यह तत्काल मामले में लागू नहीं होता क्योंकि यह एक कैमरा नहीं था; एक फोटोग्राफिक कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रिब्यूनल ने प्रविष्टि 19.25 के बारे में विवाद का भी उल्लेख किया और विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि उक्त वस्तुओं को प्रविष्टि 19.25 के तहत शुल्क आकर्षित करने वाला सामान नहीं माना जा सकता है। विश्लेषण पर ट्रिब्यूनल की राय थी कि एकमात्र संभावना प्रविष्टि 19.10 की थी जिसके तहत सामान पर शुल्क लगेगा। ट्रिब्यूनल की राय थी कि यदि स्कैनर फोटोग्राफिक और सिनेमैटोग्राफिक प्रयोगशालाओं में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का एक उपकरण था तो यह शीर्षक उचित होगा। साक्ष्यों के विश्लेषण पर ट्रिब्यूनल ने पाया कि स्कैनर मध्यवर्ती नकारात्मक या रंग डुप्लिकेट के

बिना तेजी से रंग पृथक्करण उत्पन्न करता है। मामले को देखते हुए ट्रिब्यूनल की राय थी कि मशीनरी प्रविष्टि 19.10 के अंतर्गत आएगी। इस संबंध में ट्रिब्यूनल ने अधिसूचना संख्या 36/81 का भी हवाला दिया। वहीं, कहा गया है कि प्रिंटिंग उद्योग में इस्तेमाल होने पर ऐसी मशीनों के आयात पर छूट दी गई है। अपीलकर्ता की ओर से अधिसूचना संख्या 112/77 के तहत छूट भी मांगी गई थी। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने बताया कि अधिसूचना केवल प्रविष्टि 84.35 के तहत शुल्क आकर्षित करने वाली मशीनों पर लागू होगी। इसके अलावा, इस अधिसूचना में "अपने दायरे में कैमरों की प्रक्रिया" पर विचार किया गया। अपीलकर्ता की ओर से यह स्वीकार किया गया कि आयातित रंगीन स्कैनर एक प्रोसेस कैमरा नहीं था। परिसर में, ट्रिब्यूनल की राय थी कि यह प्रविष्टि 19.10 के तहत मूल्यांकन योग्य था।

इस मामले में सवाल यह है कि उचित टैरिफ प्रविष्टि क्या है जिसके अंतर्गत प्रश्नगत वस्तुएं आती हैं और इस प्रकार वर्गीकृत की जाती हैं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम या अधिसूचना में ऐसी कोई विशिष्ट तकनीकी परिभाषा नहीं दी गई है। यदि किसी विशेष अधिनियमित कानून में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का कोई अर्थ नहीं है तो सीमा शुल्क प्रविष्टियों में वस्तुओं का मूल्यांकन और विश्लेषण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि इन अभिव्यक्तियों का उपयोग व्यापार या उद्योग या बाज़ार में या दूसरे शब्दों में कैसे किया जाता है, इनका व्यापार करने वाले लोग इनसे कैसे निपटते हैं, बशर्ते कि इस प्रकार के सामानों के लिए एक बाजार हो। यह सिद्धांत व्यापार की भाषा के आधार पर वर्गीकरण के रूप में प्रसिद्ध है। यह निर्माण का एक स्वीकृत रूप है। यह सर्वविदित सिद्धांत है कि यदि किसी विशेष अभिव्यक्ति की परिभाषा नहीं दी गई है, तो उसे उसके लोकप्रिय या सामान्य अर्थ में समझा जाना चाहिए, अर्थात्, उस अभिव्यक्ति का उपयोग उन लोगों द्वारा प्रतिदिन कैसे किया जाता है जो उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं या उनसे निपटते हैं। इस संबंध में इस

न्यायालय की टिप्पणियाँ देखें सी.आई.टी आंध्र प्रदेश बनाम मिस. ताज महल होटल, सिकंदराबाद, [1972] 1 एससीआर 168। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या बिक्री कर जैसी विधियों में वस्तुओं को शामिल करने में जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है और जिसके लिए विविध उत्पादों, लेखों और पदार्थों को वर्गीकृत करना है, का सहारा लेना चाहिए पदार्थ के वैज्ञानिक और तकनीकी अर्थ से नहीं, बल्कि उनके लोकप्रिय अर्थ से, अर्थात्, इन अभिव्यक्तियों से जुड़े लोगों द्वारा उनसे जुड़े अर्थ से संबंधित होना चाहिए। किंग बनाम प्लांटर्स कंपनी, [1951] सीएलआर (एक्स) 122 और टू हंड्रेड चेस्ट ऑफ टी, [1824] 6 एलईडी 128 में अवलोकन देखें। पूर्व मामले में, न्यायमूर्ति कैमरन ने उत्पाद शुल्क अधिनियम की टैरिफ वस्तुओं के संबंध में वाणिज्यिक समझ के परीक्षण को अपनाने के कारण का उल्लेख किया और कहा कि विधायिका ने हमारे व्यापारियों को प्रकृतिवादी, या भूविज्ञानी, या नहीं माना। वनस्पतिशास्त्री इन सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में अपनाया गया था। वी. वशी अहमद आदि.. [1977] 3 एससीआर 149। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स, सी [1963] सप्लि 1 एससीआर 586 और रामावतार बुधईप्रसाद बनाम सहायक एस.टी.ओ., अकोला, [1962] 1 एससीआर 279 भी देखें। साउथ बिहार शुगर मिल्स लिड भी देखें। बनाम भारत संघ, [1968] 3 एससीआर 21। इस न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत को दोहराया गया था। उस समय विद्वान भगवती, जे., मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। पोरिस एंड स्पेंसर (एशिया) लॉड बनाम हरियाणा राज्य, [1979] 1 एससीसी 82।

हालाँकि, मौजूदा मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन वस्तुओं को व्यापार या उद्योग में कैसे निपटाया जाता है। इस्तेमाल की गई अभिव्यक्तियों की कोई तकनीकी परिभाषा नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी राय में, ट्रिब्यूनल का सच्चा दृष्टिकोण वस्तुओं के सही अर्थ का

पता लगाना चाहिए था, यानी, व्यापार में इससे निपटने वाले लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों के लिए जिम्मेदार अर्थ।

ट्रिब्यूनल को अब इसका पता लगाना चाहिए। इस मामले को ध्यान में रखते हुए हम अपील की अनुमति देते हैं, ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हैं और मामले को ट्रिब्यूनल को इस निर्देश के साथ भेजते हैं कि यह पता लगाया जाए कि दोनों पक्षों को उचित अवसर देने के बाद इन वस्तुओं का सौदा करने वाले लोगों द्वारा उनका निपटान कैसे किया जाता है। साक्ष्य जोड़ना और फिर इस फ़जमेंट के अनुसार प्रश्न का निर्णय करना।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

आर.पी.डी.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।